



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रीसेसर द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[१. 16]

नई विस्तीर्ण, सनिदार, अप्रैल 15, 2000/चत्र 26, 1922

[२. 16]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15, 2000/CHATRA 26, 1922

इस भाग में किसी पृष्ठ संख्या दी जाती है कि उसे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा नंदायत और डोक्टर) द्वारा जारी किए गए सारित्विक लाइंग और अधिसूचनाएँ

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(रक्षा नियम)

कार्यालय-प्रबन्धन, केन्द्रीय उत्तरद शुल्क अधिकारालय

जयपुर, 27 मार्च, 2000

(सीमा शुल्क)

क.सं. २४०.४. (एन.टी.) 2000

राजस्थान राज्य के अधिकार छिले में स्थित चाम माँडण
वहसील कुहरोड़ को भगडार्लो स्टेजन (वेयर हार्ड्सिंग स्टेजन)
घोषित करता है।

[प्र. नं. V (16) चो. नं. /2/2000]
दलबीर सिंह, आवृक्त

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

OFFICE OF THE COMMISSIONER
CENTRAL EXCISE

Jaipur, the 27th March, 2000
(CUSTOMS)

No. 2/Cus(NT)2000

S.O. 818.—In exercise of the powers conferred
by notification No. 33/94-Customs (NT), dated the
1st July, 1994, by the Government of India, Ministry
of Finance, Department of Revenue, New Delhi,

नई दिल्ली, ४ मार्च, २०००

का.पा. ८३०.—देव चिकित्सा प्रधिनियम १९४८ (१९४८ का १६) को भारा १० की उपलब्धि (२) द्वारा प्रदत्त संशोधनों का प्रयोग करते हुए और भारतीय देव चिकित्सा विद्यालय के प्रायमण्ड के बाद केंद्र सरकार उक्त प्रधिनियम की समुदायों के द्वारा १ में निम्नलिखित और संशोधित करती है नामतः—

उक्त अधिसूची के द्वारा १ में भवित विश्वविद्यालय, बोध गया (विहार) की ओर संख्या ३७ पीर उसमें संशोधित प्रधिनियमों के सामने निम्नलिखित प्रविधियाँ जोड़ी जायेंगी नामतः—

३७. नगद विश्वविद्यालय, (i) देव चिकित्सा बी.डी.एस.,
बोध गया (विहार) ला. स्नातक भवित

यह अर्थात् बी.आर.
अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट
ओफ डेंटल साइंसेज एवं
अस्पताल, पटना के
बी.डी.एस. छात्रों के
संदर्भ में एक मान्यता
प्राप्त देव चिकित्सा
अर्थात् होणी वाद यह
७ मार्च, १९९९ को
अथवा उसके बाद
प्रदान की गई होगी।

[संदर्भ दी. १२०१८/३/९९-यो.एम.एस.]

एस.के. सुब्र., निदेशक

New Delhi, the 4th April, 2000.

S.O. 830.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 10 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Central Government, after consulting the Dental Council of India, hereby makes the following further amendment in Part-I of the Schedule to the said Act, namely :—

In Part-I of the said Schedule at serial number 37 of Magadh University, Bodh Gaya (Bihar) and the entries relating thereto, the following entries shall be added, namely :—

37. Magadh University Bodh Gaya (Bihar). (i) Bachelor or Dental Surgery. This Qualification shall be a recognised dental qualification in respect of BDS students of B.R. Ambedkar Institute of Dental

Sciences & Hospital,
Patna when granted on or after 9th March, 1999.

[No. V-12018/3/99-PMS]
S. K. RAO, Director

संचार मंत्रालय
(दूरध्वंचार विभाग)
(राजभाषा अनुमान)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2000

का.पा. ८३१.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के जासू-कीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम १९७६ के नियम १०(४) के अनुसरण में संचार मंत्रालय, दूरध्वंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालय विषये ८०% से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एवं द्वारा अधिसूचित करती है।

विदेश संचार नियम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्देश)
विदेश संचार भवन
१/१८ सॉलाइटी. स्कीम, ७ एम.
उल्लदागा कलकत्ता-७०००५४

[सं. ई-११०१६/१/९९-र.न.]

कलाश दत्ता, उप-निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(Official Language Section)

New Delhi, the 21st March, 2000

S.O. 831.—In pursuance of rule 10(4) of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies following office under the administrative control of Ministry of Communications, Department of Telecommunications where of more than 80 per cent staff have acquired working knowledge of Hindi.

Videsh Sanchar Nigam Limited
(A Govt. of India Enterprise)
Videsh Sanchar Bhawan
१/१८, C.I.T. Scheme VII M
Ultadanga, Calcutta-७०००५४.

[No. E. 11016/1/99-O.L.]
KAILASH DUTTA, Dy. Director
(O.L.)